

248

372

II/निग०/रीवा/2018/01422

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट,  
रीवा (म०प्र०)

पुनरीक्षण प्र०क्र०- /18



- 1- ज्वाला प्रसाद मिश्रा, उम्र 70 वर्ष, तनय अयोध्या प्रसाद मिश्रा,  
निवासी ग्राम अमिलिहा, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म०प्र०)
- 2- इन्द्रलाल, उम्र 75 वर्ष, तनय बुद्धसेन मिश्रा, निवासी ग्राम अमिलिहा,  
तहसील गुढ़, जिला रीवा (म०प्र०) —————आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- माधव प्रसाद तनय कलई कुशवाहा
- 2- बिहारीलाल तनय राधेश्याम कुशवाहा
- 3- रामसेवक तनय राधेश्याम कुशवाहा
- 4- शंकराचार्य तनय राधेश्याम कुशवाहा
- 5- छोटेलाल तनय राधेश्याम कुशवाहा
- 6- संतोष कुमार तनय राधेश्याम कुशवाहा

सभी निवासीगण ग्राम तमरादेश तहसील गुढ़, जिला रीवा (म०प्र०)

7- म०प्र० राज्य

—————अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई० विरुद्ध  
आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल दुआरी,  
तहसील गुढ़, जिला रीवा जो प्रकरण  
क्रमांक 40/अ-12/2016-17 आदेश  
दिनांक 30/12/2017 में पारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- 1- राजस्व निरीक्षक सर्किल दुआरी, तहसील गुढ़ के पारित आदेश एवं  
सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विधान के प्रतिकूल होने से  
निरस्त होने योग्य है ।

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक दो (निगा) 18/10/22 जिला रीवा

ज्वाला प्रताप मिश्रा विरुद्ध माधव प्रताप कुशवाहा कर्ते

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री शिव प्रताप द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त इकाई तहसील उदके प्रकरण क्रमांक 48/अ/2/16-17 में पारित आदेश दिनांक 3.9.12/17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 8-3-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

समाप्त

निरस्त होने योग्य हैं।